रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253085
CG-DL-E-15032024-253085

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1291]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2024/फाल्गुन 24, 1945
No. 1291]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2024

का.आ. 1357(अ).—यतः, मै. डीएलएफ इन्फो सिटी हैदराबाद लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड) ने तेलंगाना (पूर्व में आंध्र प्रदेश) राज्य में गाचीबोवली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी जिला में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 669(अ) दिनांक 26 अप्रैल, 2007 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 10.617 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. डीएलएफ इन्फो सिटी हैदराबाद लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र से 4.767 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः तेलंगाना राज्य सरकार ने उनके पत्र नंबर 929/आईटीएण्डसी/परोम 2/2006 दिनांक 14 फ़रवरी, 2024 के प्रत्र के अनुसार प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अनधिसूचना के बाद ऐसे भूमि पार्सल राज्य सरकार के भूमि उपयोग दिशानिर्देशों/मास्टर प्लान के अनुरूप होंगे;

और यतः विकास आयुक्त, विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 4.767 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 4.767 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 5.85 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचना के लिए सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्रफल नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम. सं.	गावं का नाम	सर्वे नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	गाचीबोवली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी जिला	129(भाग)	3.186
2.		130	0.200
3.		131(भाग)	0.081
4.		132	1.300
कुल			**4.767**
उपयुक्त घटाव के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			**5.850**

[फा. सं. एफ.2/136/2005-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2024

S.O. 1357(E).—Whereas, M/s. DLF Info City Hyderabad Limited (formerly M/s. DLF Commercial Developers Limited), had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Gachibowli Village, Serilingampally Mandal, Ranga Reddy District, in the State of Telangana (erstwhile Andhra Pradesh);

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 10.617 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 669(E) dated 26th April, 2007;

AND, WHEREAS, M/s. DLF Info City Hyderabad Limited has now proposed for de-notification of 4.767 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Telangana has given its approval to the proposal vide letter No. 929/IT&C/Prom2/2006 dated 14th February, 2024. Further, such land parcels after de-notification will conform to Land Use Guidelines/master plans of the respective State Government;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 4.767 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 4.767 hectares, thereby making resultant area as 5.85 hectares. The survey numbers and the area for de-notification are given below in the table, namely:-

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Name of Village	Survey number	Area (in Hectares)
1.	Gachibowli Village, Serilingampally Mandal, Ranga Reddy District	129(P)	3.186
2.		130	0.200
3.		131(P)	0.081
4.		132	1.300
Total			**4.767**
Grand total of the SEZ after above deletion			**5.850**

[F. No. F.2/136/2005-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.15 23:57:04 +05'30'